तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म हुक्म की तामील में जारी हुए
20.2.20	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, पैरोकार सरकार उपस्थित, उभयपक्षो से बहस करवाई जावे। उभयपक्षो की बहस सुनी गयी, वकील प्रार्थी बहस के, दौरान प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षो की बहस पर मनन किया, तहसीलदार माण्डल की मौका रिपोर्ट का अध्ययन किया। विवादित आराजियात ग्राम बांकली परवार हल्का चांरभेड तहसील माण्डल मे स्थित होकर शांतिलाल पिता उदा दरोगा साकिन देह के नाम दर्ज रेकार्ड है जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सम्वत 2071-2074 से होती है। प्रस्तुत दस्तावेज एंव प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो के अनुसार प्रार्थी का नाम शांतिलाल पिता उदा दरोगा न होकर शक्ति सिंह पिता उदय सिंह रावणा राजपूत (दरोगा/गहलोत) है, जिसकी ताईद परिवार का राशन कार्ड की फोटो प्रति, राजस्थान राजपत्र मे अधिसूचना का प्रकाशन की फोटो प्रति, ग्राम पंचायत चांरभेड द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की फोटो प्रति, मतदाता फोटो पहचान पत्र की फोटो प्रति से होती है, उसी के अनुसार प्रार्थी अपना नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराना चाहता है ताकि बोलचाल व राजस्व रेकार्ड मे भिन्नता नही हो। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ, अतः :: आदेश :: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बांकली परवार हल्का चांरभेड तहसील माण्डल जिला भीलवाडा के खाता सं. 300 मे आराजी नम्बर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	405, 411, 413, 431, 507, 510, 511, 515, 547, 548, 560, 561, 564, 859, 860, 867, 868, 1662/404, 1663/496 1464/497, 1666/506, 1667/512, 1668/555 कुल किता 23 कुल रकबा 17 बीघा 08 बिस्वा एंव खाता संख्या 299 के आराजी नम्बर 863, 864, 866 कुल किता 03 कुल रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा भूमि के राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी का नाम शांतिलाल पिता उदा के बजाय शक्तिसिंह पिता उदयसिंह रावणा राजपूत (दरोगा/गहलोत) अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है उसी अनुसार भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.04.30 16:31:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: